संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

राज्य तंबाकू नियंत्रण सेल

इंद्रावती भवन, अटल नगर (छ.ग.)

दूरभाष कमांक 0771–2535937 ईमेल–ntcpcg@gmail.com

क्रमांक / 39 / 2019 / 132 अटल नगर जिला रायपुर दिनांक 01/05/2019

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिला (छत्तीसगढ)

विषयः– राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल / कॉलेजो / शैक्षणिक संस्थानों एवं शासकीय संस्थानों में तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करनें हेतु **Yellow line campaign** चलायें जानें बाबत्।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के समस्त 27 जिलों में जिला तम्बाकू नियंत्रण सेल के द्वारा छात्र–छात्राओं व आस–पास के समुदाय को तम्बाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करनें व तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थाओं / शासकीय संस्थाओं की स्थापाना हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन आपके द्वारा किया जाना है।

उक्त पत्र के माध्यम से आपकों निर्देशित किया जाता है कि जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर के अंतर्गत समस्त शैक्षणिक संस्थाओं / शासकीय संस्थाओं में "Yellow line campaign" चलाकर यह सुनिश्चित करायें कि समस्त शैक्षणिक संस्थाओं / शासकीय संस्थाओं के 100 गज के दायरें में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री व इस्तेमाल न हों।

इन गतिविधियों में विद्यालय तम्बाकू नियंत्रण समिति, अध्यापकगण, विद्यार्थियों ,मीडिया एवं जन समुदाय की सहभागिता सें सम्पन्न करावें ताकि अधिक से अधिक लोगों में तम्बाकू से होनें वाले बीमारियों के प्रति जगरूक किया जा सके।

कैम्पेन से संबंधित तकनीकी जानकारी आपकों संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, इस हेतु राज्य कार्यलय तम्बाकू सेल से भी (ई–मेल ntcpcg@gmail.com, 07712535937) सम्पर्क कर तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

संचालक
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक / 39 / 2019 / 133 अटल नगर जिला रायपुर, दिनांक 01.05/2019

प्रतिलिपि :–

01. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
02. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
03. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अटल नगर, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
04. सिविल सर्जन सह अस्पताल अधिक्षक जिला रायपुर की ओर सादर सूचानार्थ।
05. जिला नोडल अधिकारी एनटीसीपी जिला रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
06. कार्यलयीन प्रति।

संचालक
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
छत्तीसगढ़

Scanned by CamScanner

येलो लाइन अभियान

विश्व में तम्बाकू के उपयोग मौत के प्रमुख कारणों में से एक बन रहा है। यह अपनें उपयोगकर्ताओं के 50 प्रतिशत को मारता है और 21 वीं सदी में लगभग एक बिलियन लोगों को मारनें की उम्मीद है। तम्बाकू का उपयोग किशोरावस्था से पहले शुरू हो सकता है और वयस्कता में जारी रह सकता है। हर दिन, दुनिया भर में 80000 से 100000 युवा तम्बाकू सेवन के आदी हो जाते हैं। जब वह तम्बाकू का उपयोग करना शुरू करता है, तो उस व्यक्ति के लियें तम्बाकू को छोडना बहुत मुश्किल होता है, और तम्बाकू उत्पदों के आदि हो जाते है। यदि तम्बाकू उपयोग के वर्तमान वैश्विक पैटर्न जारी रहतें है, तो तम्बाकू का जीवन प्रर्यान्त उपयोग के कारण 250 मिलियन बच्चों और युवा लोगों की मृत्यु हो जाएगी, उनमें से अधिकांश विकासशील देशों में निवास करते है।
छत्तीसगढ राज्य ''सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों अधिनियम 2003 (COTPA)'' और नियमों को वर्ष 2016 से राज्य में लागू किया जा रहा है।

कोटपा 2003 की धारा 6 तम्बाकू से नाबालिगों की सुरक्षा के लिए विवरण निम्नानुसार है:–

धारा 6 क:– कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सिगरेट, या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद की बिकी , ब्रिकी या परमिट की बिक्री की पेशकश नहीं करेगा।

धारा 6 बी:– कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी क्षेत्र में ब्रिकी या परमिट, सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की ब्रिकी के लिये प्रस्ताव नहीं देगा।

तम्बाखू उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने एवं कोटपा (सिगरेट एवं अन्य तम्बाखू उत्पाइन अधिनियिम) 2003 के प्रावधानों को लागू किये जाने के उद्देश्य से राष्टीय तम्बाखू नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन वर्तमान में 27 जिलों में किया जा रहा है तथा कोटपा 2003 नियम का पालन समस्त प्रदेश में किया जा रहा है। GATS (Global Adult Tobacco Survey) II, 2016-17 के अनुसार छत्तीसगढ़ में तम्बाखू उत्पादों का उपयोग 39.1 प्रतिशत है। पुरूषों में 53.7 प्रतिशत महिला में 24.6 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में 29 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 42 है, जो अत्यधिक है तथा प्रदेश की जनता स्वास्थ्य के लिये हानिकार है। GATS (Global Adult Tobacco Survey) I, 2009-10 की तुलना में तम्बाखू के उपयोग में कमी आयी है तथा तम्बाखू नियंत्रण सेल के द्वारा राज्य में तम्बाखू के उपयोग में नियंत्रण लाने हेतु अथक प्रयास किया जा रहा है।

Scanned by CamScanner

भारत में कम से कम 27 करोड़ 49 लाख लोग किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते है इसके कारण प्रतिवर्ष विभिन्न बीमारियों से ग्रस्ति होकर असमय मौत मे मुंह में चले जाते है। अतः लोगों को तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुये उत्पादों के उपयोग में कमी एवं नियंत्रण लाने हेतु अत्यंत आवश्यक है। अतः राज्य के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अनुरोण है कि 31 मई 2019 विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर विभिन्न गतिविधियॉ जागरूकता/अभियान किया जावें। तथा येलो लाईन कैंम्पन जिलों में शुभारंभ किया जावें।

समस्त 27 जिलों को जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर कोटपा 2003 अभियान चलाकर अधिनियम 6 (B) के तहत स्कूल, कालेजों एवं शैक्षणिक के 100 गज के दायरे में पीली पट्टी को रेखाांकित कर 100 गज की पराधि में तंबाकू उत्पाद के खरीदी पर प्रतिबंध लागवें।

Scanned by CamScanner

पीली लाइन का अभियान

छत्तीसगढ के मुख्य मंत्री श्री भूपेश बधेल के नेतृत्व में, श्री टी.एस.सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ सरकार ने के द्वारा राज्य भर में बच्चों और युवाओं को बचाने के लिए तम्बाकू के उपयोग को खत्म करनें के लिये एक अभियान शुरू किया जावेगा। इस संबंध में ,विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई 2019 के अवसर पर एक विशेष येलों लाइन अभियान शुरू किया जाएगा।

जिला स्तरीय प्रर्वतन दल द्वारा अभियान :– जिला स्तरीय समन्वय समिति के सदस्य 31 मई 2019 से पहलें समस्त स्कूल/कालेजों के 100 गज के दायरें में तम्बाकू विक्रेताओं की मैपिंग करें और उन प्रतिबंधित क्षेत्रो से तम्बाकू की दुकानों को हटा दें।

एंटी टोबैको प्लेजः– असेंबली के दौरान स्कूल में स्टूडेंट्स और स्टाफ द्वारा ली जाने वाली तम्बाकू निषेध हेतु शपथ।

पीली लाइन अभियानः– परिसर के बाउंडरी वाल से 100 गज की दूरी पर तम्बाकू मुक्त क्षेत्र का संकेत देने वाली एक पीली रेखा खींची जाएगी।

पीली लाइन 3 इंच चौडी और लंबाई सडक की चौडाई के अनुसार होनी चाहिए।

तम्बाकू मुक्त क्षेत्र को भी पीली रंग मे लिखा जाना चाहिए। अक्षरों के लिए फॉन्ट का आकार 15 इंच होना चाहिए

अभियान के लिए आवश्यक साम्रागीः–

- पीली रंग पेंट (तेल आधारित पेंट)
- बडी पेंटिग ब्रश
- मापनें का टेप

Scanned by CamScanner